न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 13/2005 G.C.M.S. No. 2005/00003 दर्ज दिनांक : 20.01.2005

अपीलार्थिगण:

1. पोकरदास पुत्र केवलदासजी अब मृतक के कायम मुकामात–

1/1. मृत श्रीमती पेपी बेवा पोकरदासजी,

1/2. मृत मांगीदास पुत्र पोकरदासजी के कायम मुकामात–

1/2/1. श्रीमती पिस्ता पत्नी मांगीदास,

1/2/2. महेन्द्र पुत्र मांगीदासजी,
जातिगण वैष्णव, निवासीगण हेमल बिल्डिंग रूम नंबर 102, पहला माला, किशन नगर नंबर 2, रोड़ नंबर 16, वागले स्टेट, थाणा महाराष्ट्र

1/2/3. श्रीमती रेखा पुत्री मांगीदासजी पत्नी भंवरदासजी जाति वैष्णव निवासी हेमावास तहसील पाली

1/2/4. श्रीमती कांता पुत्री मांगीदासजी पत्नी लक्ष्मणदासजी जाति वैष्णव निवासी भगवान महावीर हॉस्पिटल कैम्पस, जवाई बांध रोड़, सुमेरपुर जिला पाली (राज.)

1/2/5. शिल्पा पुत्री मांगीदासजी पत्नी राकेशजी जाति वैष्णव निवासी 18, खेतवाड़ी, बैंक रोड़, तीसरीगली, पंचमुखी हनुमान मंदिर, अलंकार टॉकिज के पास, मुम्बई 400004

1/2/6. गायत्री पुत्री मांगीदासजी पत्नी संजयजी जाति वैष्णव निवासी 18, खेतवाडी, बैंक रोड, तीसरीगली, पंचमुखी हनुमान मंदिर, अलंकार टॉकिज के पास, मुम्बई 400004

1/3. मृत बद्रीदास पुत्र पोकरदासजी के कायम मुकामात–

1/3/1. श्रीमती कमला पत्नी ब्रदीदासजी

1/3/2. संजय पुत्र बद्रीदासजी

1/3/3. गौत्तम पुत्र बद्रीदासजी जातिगण वैष्णव निवासीगण प्लॉट नंबर 190, (वेस्ट), मुम्बई–67 सैक्टर नंबर 1, रूम नंबर 29, चारकोप, कांदीवली,

1/3/4. श्रीमती ललीता पुत्री बद्रीदासजी पत्नी कालुदासजी जाति वैष्णव निवासी बी–312, उत्सव शॉपिंग सेन्टर, बिल्डिंग नंबर 3, मधुबन टाउनशिप, वसई ईस्ट, पालघर, महाराष्ट्र

1/3/5 श्रीमती शर्मिला पुत्री बद्रीदासजी पत्नी भैरूदासजी जाति वैष्णव निवासी बी–404, मधुबन टाउनशिप, वसई, (पूर्व) जिला पालघर, महाराष्ट्र

1/4. मदनदास पुत्र पोकरदासजी जाति वैष्णव निवासी धनला तहसील मारवाड़ जंक्शन

1/5. मृत श्रीमती सुकिया पत्नी शंकरदासजी पुत्री पोकरदासजी जाति वैष्णव निवासी नाडोल तहसील देसूरी

1/6. श्रीमती सुआ पत्नी बद्रीदासजी पुत्री पोकरदासजी जाति वैष्णव निवासी सांसरी तहसील देसूरी

2. वोरीदास पुत्र जमनादासजी जाति वैष्णव निवासी धनला तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

3. मृत गुलाबदास पुत्र भीकमदासजी के कायम मुकामात–
   3/1. अमृतलाल पुत्र गुलाबदासजी जाति वैष्णव निवासी 207, आर.डी. कॉम्पलेक्स, आर.डी. नगर, नवा गांव, उधना, सूरत (गुजरात)
   3/2. भंवरलाल पुत्र गुलाबदासजी जाति वैष्णव निवासी 7–ए–35, कुड़ी भगतासनी हाऊसिंग बोर्ड, जोधपुर (राज.)
   3/3. जयंतीलाल पुत्र गुलाबदासजी जाति वैष्णव निवासी नाकोड़ा ट्रेडर्स, बी–ब्लॉक, 17/21, रीवर रोड़, नाकोड़ गिफ्ट के पास, पिम्परी, पूणे महाराष्ट्र

4. मृत नारायणदास पुत्र भीकमदासजी के कायम मुकामात–
   4/1. किशनदास पुत्र नारायणदासजी जाति वैष्णव निवासी रूम नंबर 11, प्लॉट नंबर 98, गोराई (1) बोरीवली वेस्ट, मुम्बई–91
   4/2. जीवनदास पुत्र नारायणदासजी निवासी प्रियंका मेघा सिटी, घर नंबर 2, ज्ञान ज्योति स्कूल के सामने, ध्रुव पार्क, गड़ोधरा, सूरत पूर्व गुजरात

5. मृत अर्जुनदास पुत्र भीकमदासजी के कायम मुकाम–
   5/1. श्रीमती ढगली पत्नी अजुर्नदासजी
   5/2. मनोहरदास पुत्र अजुर्नदासजी
   5/3. प्रकाश पुत्र अजुर्नदासजी
   5/4. रमेश पुत्र अजुर्नदासजी जाति वैष्णव निवासीगण धनला तहसील मारवाड़ जंक्शन
   5/5. रूकमणी पुत्री अर्जुनदासजी पत्नि हापुदासजी जाति वैष्णव निवासी रामपुरा तहसील मारवाड़ जंक्शन
   5/6. लीला पुत्री अर्जुनदासजी पत्नि बालकृष्णजी निवासी गुडा जैतसिंह तहसील रानी जिला पाली

6. मृत देवीदास पुत्र भीकमदासजी के कायम मुकामात–
   6/1. श्रीमती कमला पत्नी देवीदासजी
   6/2. जयचंद पुत्र देवीदासजी, जातिगण वैष्णव निवासीगण जय–विजय जनरल स्टोर्स, जगदीश शेट्ठी रोड़, गणेश नगर, कांदीवली, वेस्ट, मुम्बई–67
   6/3. श्रीमती सरोज पुत्री देवीदासर्जी पत्नी अर्जुनदासजी जाति वैष्णव निवासी सुविधा कलेक्शन वाली गली, जगदीश शेट्ठी रोड़, गणेश नगर, कांदीवली, वेस्ट, मुम्बई–67
   6/4. श्रीमती मंजू पुत्री देवीदासजी पत्नी कैलाशजी जाति वैष्णव निवासी 10, चौला पी. ईलियार कोईल, 2 एन.डी. लेन, रोयापेटा, चेन्नई–14

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. मृत शेषूदास पुत्र धनरामदासजी के कायम मुकाम–
   1/1.श्रीमती मेहता पत्नी शेषूदासजी (पत्नी)
   1/2 मृत पुरुषोत्तमदास पुत्र शेषूदासजी (पुत्र) लाऔलाद फौत
   1/3. प्रवीणदास पुत्र शेषूदासजी (पुत्र)
   1/4. श्रीमती शारदा पुत्री शेषूद्रासजी पत्नी नेनूदासजी (पुत्री)
   1/5. श्रीमती भगवती पुत्री शेषूदासजी पत्नी प्रेमदासजी (पुत्री)
   1/6. श्रीमती लीला श्रीमती शारदा पुत्री शेषूदासजी पत्नी सुरेशदासजी (पुत्री)

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जातिगण वैष्णव निवासीगण माताजी का गुड़ा तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली (राज.)

2. मूलदास पुत्र हरीदास अब मृत्तक के कायम मुकाम–
   2/1. विद्या पत्नी मोहनदासजी पुत्र मूलदासजी जाति वैष्णव निवासी अखराजजी का गुड़ा तहसील देसूरी जिला पाली
3. अमरदास पुत्र मूलदासजी जाति वैष्णव निवासी माताजी का गुड़ा तहसील देसूरी
4. द्वारकादास पुत्र मूलदासजी अब मृत्तक के कायम मुकाम–
   4/1. मंजू पुत्री द्वारकादासजी पत्नी रमेशदासजी जाति वैष्णव निवासी जोजावर तहसील मारवाड़ जंक्शन
   4/2. भवानीदास पुत्र द्वारकादासजी जाति वैष्णव निवासी धनला तहसील मारवाड़ जंक्शन लाऔलाद फौत
5. मृत रतनदास पुत्र मूलदासजी के कायम मुकामात–
   5/1. मुरलीदास पुत्र रतनदासजी
   5/2 अशोककुमार पुत्र रतनदासजी जातिगण वैष्णव निवासीगण पाली ठीकाना मेहंदी वाला जाव, शेखावत नगर, पुनायता रोड़, भवानी शू स्टोर वाली गली, पाली (राज.)
   5/3. रेखा पुत्री रतनदासजी पत्नी मंगलदासजी जाति वैष्णव निवासी बोलागुड़ा तहसील रानी जिला पाली (राज.)
   5/4. प्रेमा पुत्री रतनदासजी पत्नी मदनदासजी जाति वैष्णव निवासी खरोकड़ा (खटुकड़ा) तहसील रानी जिला पाली (राज.)
6. मेहता पत्नी शेषूदासजी
7. सुखीया पत्नी अमरदासजी, जातिगण वैष्णव निवासीगण माताजी का गुड़ा तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली (राज.)
8. मृत शांतिबाई पत्नी द्वारकादासजी के कायम मुकामात–
   8/1. मंजू पुत्री द्वारकादासजी, जो पहले से ही रेस्पोडेण्ट संख्या 4/1 के रूप में पक्षकार नियोजित है।
9. मैना पत्नी रतनदास जाति वैष्णव निवासी माताजी का गुड़ा तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली (राज.)

<u>अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 102/1995 बअनवान पोकरदास के का.मु. पेपी वगैरह बनाम शेषुदास वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.11.2004</u>

<u>पैरोकार</u>–

1. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, श्री घनश्यामसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, श्री सुतीक्ष्ण राजपुरोहित, श्री प्रमेश कीर, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट।

निर्णय

दिनांकः 31.12.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 102/1995 बअनवान पोकरदास के का.मु. पेपी वगैरह बनाम शेषुदास वगैरह

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.11.2004 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि अपीलाण्ट्स द्वारा एक वाद अधीन न्यायालय में धारा 188, 92 ए राज. टिनेन्सी एक्ट में तहत प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय का पेश किया कि ग्राम धनला में खसरा नम्बर 1304, 1305, 1310 से 1312 कुल रकबा 53 बीघा 17 बिस्वा स्थित है, जो अपीलाण्ट्स के खातेदारी, कब्जा व काश्त शुदा स्थित है। प्रतिवादीगण रेस्पोडेण्ट्स ने अपीलाण्ट्स का नाम हटवाकर मौके से अपीलाण्ट्स को बेदखल करने पर आमादा है इसलिए इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा पारित की जावें। प्रतिवादी रेस्पोडेण्ट्स द्वारा जवाबदावा पेश कर अपीलाण्ट्स के कब्जे काश्त को अस्वीकार कर स्वयं काकब्जा–काश्त बताया एवं उपरोक्त भूमि को मूर्ति श्री चारभुजाजी भंगवान के खातेदारी की होना दर्ज किया एवं पहले मूर्ति को जागीर माफि ही होना बताया तथा यह भी उजर पेश किया कि राजस्व रेकर्ड में बातेदारी वादीगण की नहीं है इसलिए बिना घोषणा का वाद लाये वाद नहीं चल सकता है तथा न ही कब्जा है इसलिए कब्जे की मांग के बिना वाद नहीं लाया जा सकता है। इसके अलावा भी उक्त भूमि को धारा 145 के तहत रिसीवर के कब्जे में होना बताया। उपरोक्त अभिवचनों के आधार पर कुल 5 तनकीयात कायम की गई एवं अधीन न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री द्वारा तनकी नम्बर 1 को अपीलाण्ट्स के विरुद्ध निर्णित कर अपीलाण्ट्स के वाद को विधि व तथ्यों के विपरीत जाकर खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई कि अधीन न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेजात् से यह स्थिति स्पष्ट थी कि उपरोक्त भूमि अपीलाण्ट्स के ही आतेदारी की राजस्व रेकर्ड में दर्ज थीं एवं बिना किसी वाद के ही एक प्रार्थना–पत्र पर रेस्पोडेण्ट शेषुदास ने प्रशासनिक हैसियत से उपखण्ड अधिकारी, सोजत से उपरोक्त भूमि से अपीलाण्ट्स के नाम को हटाने का तथाकथित आदेश दिनांक 2.11.84 को करवा दिया। उक्त आदेश किसी भी वाद अथवा कार्यवाही के तहत नहीं किया गया इसलिए ऐसे आदेश करने की कोई अधिकारिता नहीं थी एवं ऐसे आदेश से अपीलाण्ट्स के नाम को राजस्व रेकर्ड से हटाना अधीन न्यायालय एवं तहसीलदार के क्षेत्राधिकार से परे का कार्य था। इसलिए इस आदेश से अपीलाण्ट्स के नाम को हटाने का विधिवत आदेश नहीं माना जा सकता है एवं गलती से या फर्जी तरीके से नाम हटाने मात्र से ही यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलाण्ट्स का राजस्व रेकर्ड में नाम नहीं हैं इसलिए बिना घोषणा का वाद लाये स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पोषणीय नहीं है। इस प्रकरण में तो उपखण्ड अधिकारी, सोजत द्वारा तहसीलदार के नाम

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

दिनांक 2.11.84 को आदेश करने के पश्चात् उक्त आदेश की जानकारी अपीलाण्ट्स वादीगण को होने पर प्रार्थना-पत्र उनकी ओर से इस सम्बन्ध में पेश किया और समस्त तथ्यों की जानकारी दी तब उन्हीं उपखण्ड अधिकारी जी द्वारा पूर्व में आदेश दिनांक 2.11.84 की पालना नहीं करने हेतु तहसीलदार, मारवाड़ जंक्शन को आदेशित किया गया, फिर भी रेस्पोडेण्ट्स शेषुदास ने तहसीलदार, पटवारी इत्यादि से मिलावट करके अपीलाण्ट का नाम हटवा दिया तो उससे अपीलाण्ट्स के हक हकूक किसी भी रूप से प्रभावित नहीं हो सकते थें और विधिवत् रूप से अपीलाण्ट्स ही खातेदार माने जायेंगे। इसके लिए अलग से कत्तई खातेदारी घोषणा का वाद लाना आवश्यक नहीं है। खातेदारी की घोषणा का वाद उसी स्थिति में आवश्यकता रहता है जहां कि वास्तविक एवं विधिक तौर से रेकर्ड में नाम दर्ज नहीं हो तो उसकी घोषणा करने हेतु अथवा खातेदारी अधिकार उत्पन्न हो जाने पर उसके द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा के लिए वाद लाया जाना आवश्यक होता है इसलिए उक्त तथ्य इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते थें, क्योंकि इस प्रकरण में तो विधि एवं विधिक तौर से वादीगण अपीलाण्ट्स ही खातेदार-काश्तकार राजस्व रेकर्ड में शुरू से ही दर्ज थे एवं प्रशासनिक आदेश से गलत तरीके से बिना अपीलाण्ट्स को नोटिस दिये, बिना अपीलाण्ट्स की जानकारी में लाये, बिना विधिक कार्यवाही किये अपीलाण्ट्स के नाम को हटा दिया था उससे अपीलाण्ट्स के खातेदारी हक-हकूकों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ सकता था। अपीलाण्ट्स द्वारा यह वाद की ताईद में लिखित बहस प्रस्तुत की गई थी एवं उक्त बहस में समस्त तथ्यों व विधि का विवेचन किया था, लेकिन अधीन न्यायालय ने अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टांतों को कन्सीडर नहीं किया एवं गलत रूप से विवेचन करते हुए भूमि को मन्दिर चारभुजा डोली की मानकर के अपीलाण्ट्स के वाद को खारिज कर दिया। उक्त भूमि मूर्ति मन्दिर चारभुजाजी की खुद काश्त की एवं निजि कभी नहीं रही हैं। विधिक अवधारणा यह है कि जिस समय जागीरी जब्त हुई अथवा राजस्थान टिनेन्सी एक्ट प्रभाव में आया, उस दिन अगर उस भूमि पर कोई शख्स बतौर कृषक काबिज है तो वह जागीरी एक्ट, 1952 की धारा 9 एवं राजस्थान टिनेन्सी की धारा 15 के तहत स्वतः ही खातेदार हो जाता है और उसे खातेदारी प्रदान की जानी चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति कोई वाद लाता है तो वह निश्चित रूप से खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी होता है। इस सम्बन्ध में भी दस्तावेजी साक्ष्य के समर्थन में अपीलाण्ट्स द्वारा विधिक साक्ष्य के रूप में नजीरें प्रस्तुत की थी, जिसका सार भी यही था कि जागीरी जब्ती के बाद विधिक तौर से अपीलाण्ट्स ही उपरोक्त भूमि के खातेदार हुए है और उसी अनुरूप अपीलाण्ट्स के नाम ही खातेदारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

दर्ज की गई थी, जिसे प्रशासनिक तौर पर उपखण्ड अधिकारी को नाम हटाने का कोई अधिकार नहीं है और अगर ऐसा कोई आदेश पारित किया जाता है तो वह स्वतः ही नल एण्ड वॉईड है और उससे तीसरे पक्ष को कोई हक–अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते हैं इस सम्बन्ध में माननीय राज. उच्च न्यायालय द्वारा कई विनिश्चयों में यह अभिनिर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में जो तनकी अपीलाण्ट्स के जिम्मे थीं, उन्हें अपीलाण्ट्स द्वारा दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य द्वारा पूर्ण रूप से साबित किया गया एवं इस सम्बन्ध में विधिक दृष्टांत भी प्रस्तुत किये गये, जिससे कि अपीलाण्ट्स का केस पूरी तरह कवर होता था, फिर भी अधीन न्यायालय ने केवल वाद को खारिज करने के उद्देश्य से ही गलत विवेचन करते हुए बिना नजीरों का अवलोकन किये ही जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित कर अपीलाण्ट्स के वाद को खारिज करने में कानून व वाक्याती भूल की हैं। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिनुसार जो तनकीयात अभिवचनों के आधार पर बनायी जानी चाहिए थीं एवं जो तनकीयात बनायी गयी, वह भी गलत रूप से बनाई गई। इसलिए जैर अपील निर्णय व डिक्री सर्वथा निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमने प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवरण एवं विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार हैः–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांट द्वारा प्रतिवादीगण रेस्पोंडेंट्स के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात में स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र अंतर्गत धारा 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 08.11.2004 द्वारा खारिज किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट वादीगण द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई।

2. वादपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजीयात वादीगणों के खातेदारी कब्जाकाश्त की होना, महकमा बंदोबस्त द्वारा पर्चा लगान संख्या 252 वादीगण को मिलना प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा बइमदाद प्रतिवादी संख्या 2 से 5 से साजिश कर वादीगणों को बेदखल करने के लिए दावा पेश करने प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादीगण को सूचित किए बिना वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड से खारिज कराने बाबत दरख्वास्त पेश करने, पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से मिलावट

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

कर राजस्व रेकर्ड से हटाने की कार्यवाही करने तथा वादीगण को सूचित किए बिना वादीगण का नाम हटाकर प्रतिवादीगण को बेदखल करना शुरू करने के आधार पर वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया गया।

3. पत्रावली पर उपलब्ध एवं साक्ष्य में प्रदर्श दस्तावेजात से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी भू–प्रबंध से डोली बनाम मंदिर श्री चारभुजाजी की खुदकाश्त आराजी रही हैं तथा प्रदर्श डी 9 जमाबंदी संवत 42 से 45 ग्राम धनला, प्रदर्श डी 14 जमाबंदी संवत 2054–2057 ग्राम धनला के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी डोली बनाम मूर्ति श्री चारभुजा जी महाराज की खातेदारी आराजी है। अतः स्पष्ट है कि वादीगण अपीलांट वादग्रस्त आराजीयात में अभिलिखित खातेदार नहीं हैं। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के अंतर्गत अवैध बेदखली के विरूद्ध निषेधाज्ञा हेतु वादपत्र केवल खातेदार ही प्रस्तुत कर सकता है। वादीगण द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत वादपत्र प्रस्तुत नहीं किया है व न ही इस पर कोई अनुतोष चाहा है। धारा 188 (1) में निम्नानुसार विधिक प्रावधान है:–

188. <u>अवैध बेदखली के विरूद्ध निषेधाज्ञा</u> :– "(1) कोई आसामी जिसके भूमि क्षेत्र या भूमि क्षेत्र के भाग पर उसके अधिकार अथवा उपभोग पर भूमिधारी या अन्य व्यक्ति द्वारा आक्रमण किया जाता है या आक्रमण किये जाने की धमकी दी जाती हैं, शाश्वत निषेधाज्ञा की स्वीकृति के लिए दावा दायर सकता है।"

अतः स्पष्ट है कि अपीलांट वादीगण वादग्रस्त आराजीयात के अभिलिखित खातेदार नहीं हैं तथा खातेदारी अधिकारों की घोषणा के अनुतोष के बिना स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया गया है। जो वादपत्र प्रस्तुत करने का वादी को कोई अधिकार नहीं हैं। ऐसी स्थिति में वादपत्र पोषणीय नहीं हैं। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में विवाद्यक संख्या 1 वादीगण अपीलांट के विरूद्ध निर्णित किया है तथा उसकी विषयवस्तु उपर्युक्त विवेचन के अनुकूल है, साथ ही विवाद्यक संख्या 2 वादीगण खातेदार दर्ज नहीं होने से दावा चलने योग्य नहीं हैं। वस्तुतः विधिक विवाद्यक है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के प्रावधान अनुसार वादपत्र चलने योग्य नहीं हैं। अतः उक्त विवाद्यक वादीगण अपीलांट के विरूद्ध निर्णित होती हैं। चूंकि उक्त दोनों विवाद्यक से वस्तुतः वादपत्र सारवान रूप से निर्णित हो जाता है। साथ ही शेष तनकीयात भी वादीगण के विरूद्ध निर्णित हुई है तथा विद्वान विचारण न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा तनकीयात का प्रस्तुत साक्ष्य व संगत विधिक प्रावधानों के आलोक में विवेचन करते हुए विधिनुरूप निर्णित कर वादपत्र खारिज किया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिविरूद्धता साबित नहीं होती हैं तथा अपीलांट द्वारा लिए गए उजरात स्वीकार योग्य नहीं हैं तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होती हैं व अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं। लिहाजा, अपील अपीलांट खारिज करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पुष्टि किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 102/1995 बअनवान पोकरदास के का.मु. पेपी वगैरह बनाम शेषुदास वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.11.2004 की पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner